(क) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के अन्त में आपदा राहत कोष (सी० आर० एफ०) में अव्ययित बची राशि को, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में विवरण**

**(क) : वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।**

**(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता है ।**